न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस)

राजस्व आवेदन सं. 85/2025

अन्तर्गत धारा 131,136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. अब्दुर्रहमान उर्फ अब्दुलरहमान उर्फ रहमान पुत्र नूर मोहम्मद उर्फ नूरा जाति मुसलमान, निवासी हरपालिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	1 2 3	अकला पुत्र आहमद फौत के कायम मुकाम विप्राथ्री संख्या 11 से 15 नूरा पुत्र तैयब फौत के कायम मुकाम प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 10 एवं 16 नवाब पुत्र तैयब 4. अनवर पुत्र हसन 5. इदी पुत्र हसन 6. करामत पुत्री अरबाब 7. खतीजा पुत्री अरबाब 8. फातमा पत्नी अरबाब 9. मुनत पुत्र अरबाब 10. जान मोहम्मद पुत्र नूरा 11. दीन मोहमद पुत्र अकला 12. नसीर पुत्र अकला 13. हारून पुत्र अकला 14. सराजूदीन पुत्र अकला 15. सफुरा पत्नी अकला 16. सोबदार पुत्र नूरा 17. नवाब पुत्र तैयब 18. हकू पुत्र हसन 19. इस्माईल पुत्र सुरतान 20. रहीमा पत्नी नसीर 21. सचू खान गांधी खान 22. हनीफा पत्नी हारूण जाति मुसलमान, निवासी हरपालिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। 23. आईसीआईसी बैंक लिमिटेड शाखा बुरहान का तला 24. तहसीलदार सेड़वा।

उपस्थित :प्रार्थीगण वकील – श्री श्रीराम विश्नोई
विप्रार्थी संख्या 03 से 22 के वकील– श्री घेवरराम देवासी

दिनांक 08/12/25

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण अब्दुर्रहमान उर्फ अब्दुलरहमान उर्फ रहमान पुत्र नूर मोहम्मद उर्फ नूरा जाति मुसलमान, निवासी हरपालिया, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर। द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षेप मे सार इस प्रकार है कि प्रार्थी तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 22 तक की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा हरपालिया पटवार हल्का हरपालिया भू.अभिलेख नि. क्षेत्र सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 156 रकबा 4.8158 हैक्टेयर, खसरा संख्या 272 रकबा 7.6081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 97 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, खसरा संख्या 493/313 रकबा 32.4557 हैक्टेयर, खसरा संख्या [illegible] रकबा 12.1648 हैक्टेयर, खसरा संख्या 125 रकबा 2.6466 हैक्टेयर, खसरा संख्या 265 रकबा 4.2735 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 रकबा 60.8970 हैक्टेयर, खसरा संख्या 82 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:38:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

624/70 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खसरा संख्या 70 रकबा 4.1440 हैक्टेयर, किस्म बारानी सोयम भूमि आयी हुई है। प्रार्थी का नाम अब्दुर्रहमान पुत्र नूर मोहम्मद है। लेकिन भूलवंश राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम अब्दुलरहमान/रहमान उर्फ अब्दुलरहमान नूरा अंकित कर दिया है लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम अब्दुर्रहमान पुत्र नूर मोहमद है तथा आधार कार्ड, मतदान परिचय पत्र तथा राशनकार्ड पैन कार्ड, पासपोर्ट व अन्य समस्त राजकीय दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम अब्दुर्रहमान पुत्र नूर मोहमद है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत अंकित होने से प्रार्थी को अपने खेतों का अधिक उपजाउ बनाने के लिए कृषि ऋण की आवश्यकता होने पर बैंको आदि में आवेदन करने पर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इससे प्रार्थी को अपने खातेदारी हकूको पर भी भारी कुठाराघात होने की संभावना है। इसलिए प्रार्थी अपने नाम को दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। मौजा हरपालिया पटवार हल्का हरपालिया भू.अभिलेख नि. क्षेत्र सारला तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 156 रकबा 4.8158 हैक्टेयर, खसरा संख्या 272 रकबा 7.6081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 97 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, खसरा संख्या 493/313 रकबा 32.4557 हैक्टेयर, खसरा संख्या 105 रकबा 12.1648 हैक्टेयर, खसरा संख्या 125 रकबा 2.6466 हैक्टेयर, खसरा संख्या 265 रकबा 4.2735 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 रकबा 60.8970 हैक्टेयर, खसरा संख्या 82 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा संख्या 624/70 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खसरा संख्या 70 रकबा 4.1440 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि के राजस्व रेकर्ड में नाम अब्दुल रहमान/रहमान उर्फ अब्दुलरहमान पुत्र नूरा के स्थान पर अब्दुर्रहरमान पुत्र नूर मोहमद करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस तलब किए। विप्रार्थी संख्या 03 से 22 की ओर से अधिवक्ता श्री घेवरराम देवासी ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब पेश किया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या 23 व 24 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त, जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार सेड़वा से न्यायालय के आदेश क्रमांक /2025/898 दिनांक 08.05.2025 द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन के लिए लिखा गया। कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांक: भू.अ./2025/607 दिनांक 10.07.2025 द्वारा न्यायालय को तथ्यात्मक मौका जांच

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2025.05.22 19:38:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन **"हरपालिया पटवार हल्का हरपालिया के खसरा संख्या 156 रकबा 4.8158 हैक्टेयर, खसरा संख्या 272 रकबा 7.6081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 97 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, खसरा संख्या 493/313 रकबा 32.4557 हैक्टेयर, खसरा संख्या 105 रकबा 12.1648 हैक्टेयर, खसरा संख्या 125 रकबा 2.6466 हैक्टेयर, खसरा संख्या 265 रकबा 4.2735 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 रकबा 60.8970 हैक्टेयर, खसरा संख्या 82 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा संख्या 624/70 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खसरा संख्या 70 रकबा 4.1440 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम भूमि आयी हुई है। अब्दुर्रहमान पुत्र नूरमोहमद के सगे भाई जानमोहमद पुत्र नूरा ने बताया कि पूर्व में विरासत के नामान्तरण के जरिए अब्दुलरहमान पुत्र नुरा का नाम भूलवंश दर्ज हो गाया। प्रार्थी अब्दुर्रहमान के अन्य साक्ष्य दस्तावेजों की जांच की जिसमें प्रार्थी का नाम अब्दुर्रहमान पुत्र नूरमोहमद दर्ज है। साक्ष्य दस्तावेज भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड नम्बर 611600759855 राशनकार्ड व परिचय पत्र इत्यादि में अब्दुर्रहमान पुत्र नूरमोहमद दर्ज है। प्रार्थी अपने सभी खसरों में कब्जा काश्त है। प्रार्थी को गांव में अब्दुर्रहमान के नाम से जाना पहचाना जाता है। मौके पर उपस्थित मौतबरानों ने बताया की प्रार्थी अब्दुलरहमान गलत नाम दर्ज हो गया। लेकिन सही नाम अब्दुर्रहमान पुत्र नूरमोहमद कौम मुसलमान है। मौका फर्द मौके पर बनाई जाकर उपस्थित के हस्ताक्षर/अ.नि. अंकित करवाए गए।"**

उभयपक्षकारान् वकील उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर उभयपक्षकारान अधिवक्ता ने बहस की। उभयपक्षकारान अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया है। उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थचित्त से मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा सक्षम दस्तावेजी साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिन्तन, मनन तथा विचारण उपरांत, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 85/2025 उनवान अब्दुर्रहमान उर्फ अब्दुलरहमान उर्फ रहमान बनाम अकला अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:38:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उनवान– अब्दुर्रहमान उर्फ अब्दुलरहमान उर्फ रहमान बनाम अकला के कायम मुकाम वगैरा
राजस्व आवेदन संख्या– 85/2025

अतः मुताबिक तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अनुसार तहसील सेड़वा के पटवार मण्डल हरपालिया के ग्राम हरपालिया के खसरा संख्या 156 रकबा 4.8158 हैक्टेयर, खसरा संख्या 272 रकबा 7.6081 हैक्टेयर, खसरा संख्या 97 रकबा 9.5991 हैक्टेयर, खसरा संख्या 493/313 रकबा 32.4557 हैक्टेयर, खसरा संख्या 105 रकबा 12.1648 हैक्टेयर, खसरा संख्या 125 रकबा 2.6466 हैक्टेयर, खसरा संख्या 265 रकबा 4.2735 हैक्टेयर, खसरा संख्या 46 रकबा 60.8970 हैक्टेयर, खसरा संख्या 82 रकबा 0.7770 हैक्टेयर, खसरा संख्या 624/70 रकबा 1.8130 हैक्टेयर, खसरा संख्या 70 रकबा 4. 1440 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की भूमि अब्दुर्रहमान उर्फ अब्दुलरहमान उर्फ रहमान बनाम अकला वगैरा जाति मुलसमान साकिन हरपालिया में नाम दुरुस्त किया जाना उचित है। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों तथा तहसीलदार सेड़वा के तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन पर युक्तियुक्त विचारण के उपरांत जांच प्रतिवेदन में **नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करने का आदेश दिया जाता हैं। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन(पत्रांकः भू.अ./2025/607 दिनांक 10.07.2025 के संलग्न मौका जांच प्रतिवेदन दिनांक 15.05.2025, खसरा नक्शा व जमाबंदी अभिलेख आदि) निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सेड़वा को आदेशित किया जाता है कि वह तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करें। तहरीर जारी हो। पत्रावली संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।**

निर्णय आज दिनांक 09/12/25 को खुले इजलास में सुनाया गया।

(बद्रीनारायण, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:38:18 IST
Reason: SelfAttested

कोर्ट अति–आवश्यक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा, जिला बाड़मेर

क्रमांक : कोर्ट / 2025 / 898 दिनांक :– 08/08/2025

प्रेषिती :–तहसीलदार सेड़वा

विषयः–न्यायालय में विचाराधीन राजस्व आवेदन संख्या 85 / 2025 उनवान अब्दुर्रहमान उर्फ अब्दुलरहमान उर्फ रहमान बनाम अकला के कायम मुकाम वगैरा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में नाम दुरूस्ती हेतु मौका / तथ्यात्मक रिपोर्ट मय साक्ष्य सबूत भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व आवेदन संख्या 85 / 2025 अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 उनवान अब्दुर्रहमान उर्फ अब्दुलरहमान उर्फ रहमान बनाम अकला के कायम मुकाम वगैरा में अंकित तथ्यों अनुसार नाम दुरूस्त करवाने हेतु निवेदन किया है।

अतः आपको कमिश्नर नियुक्त कर मूल प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति इस पत्र के संलग्न कर, निर्देश है कि इस सम्बन्ध में सम्बन्धित हल्का पटवारी व गिरदावर को पाबन्द कर, दिनांक 19/08/2025 प्रातः 10.30 बजे तक न्यायालय द्वारा वांछित मौका प्रतिवेदन/ जांच / तथ्यात्मक प्रत्युत्तर सही–सही साक्ष्य सबूत सहित अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें, जिससे न्यायालय में लम्बित उक्त अनवान के प्रकरण का समय पर निस्तारण किया जा सके।

संलग्नः मूल प्रार्थना पत्र की प्रति।

(बद्रीनारायण, आइ.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:38:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2025 / 607 दिनांकः– 10.07.2025

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– राजस्व वाद संख्या 85 / 2025 अनवान अब्दुर्रहमान उर्फ अब्दुलरहनाम उर्फ रहमान बनाम मकला के कायम मुकाम वगैरहा अन्तर्गत RT Act धारा 136 में नाम दुरस्ती की मौका जांच रिपोर्ट पेश करने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्ता विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व वाद संख्या 85 / 2025 अनवान अब्दुर्रहमान उर्फ अब्दुलरहनाम उर्फ रहमान बनाम मकला के कायम मुकाम वगैरहा में मौजा हरपालिया के ख़सरा नंबर 156, 272, 97, 493 / 313, 105, 125, 265, 46, 82, 624 / 70, 70, का अन्तर्गत धारा 136 RT ACT में मौका जांच हेतु आप द्वारा नाम दुरस्ती की मौके की रिपोर्ट चाही थी। जिसकी भू.अ. निरीक्षक सारला द्वारा दिनांक 15.05.2025 को मौका जांचकर मौका रिपोर्ट तैयार कर इस पत्रांक के सलंग्न श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

सलंगलः– उपरोक्तानुसार

भवदीय
(पन्नाराम चौधरी)
तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:38:18 IST
Reason: SelfAttested

फर्द - मौका

प्रार्थी कार्ड

दिनांक 15/5/2025 को श्रीमान् तहसीलदार साहब सेड़वा के आदेश क्रमांक /भू.अ./202 दिनांक 12/5/25 की पालना में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा में विचाराधीन राजस्व आवेदन संख्या 85/2025 उनवान अब्दुर्रहमान उर्फ अब्दुलरहमान बनाम के कायम मुकाम नाम दुरस्ती हेतु मौका जांच व तथ्यात्मक रिपोर्ट करने हेतु राजस्व ग्राम हरपालिया पटवार मण्डल हरपालिया के हलका हरपालिया पहुंचा।

मौके पर प्रार्थी व मौतबरान उपस्थित मिले। प्रार्थी अब्दुर्रहमान पुत्र नूरमोहम्मद कौम मुसल० की वर्तमान राजस्व रेकर्ड की जांच की। प्रार्थी अब्दुर्रहमान पुत्र नूरमोहम्मद का नाम अशुद्ध ग्राम हरपालिया के खसरा नम्बर 97 रकबा 7.6081 है, ख.नं. 156 रकबा 4.8158 है, ख.नं. 272 रकबा 32.4557 है, ख.नं. 105 रकबा 9.5991 है, ख.नं. 493/313 रकबा 12.1640 है, ख.नं. 125 रकबा 2.6466 है, ख.नं. 265 रकबा 4.2735 है, ख.नं. 46 रकबा 60.8970 है., ख.नं. 82 रकबा 0.7770 है. ख.नं. 624/70 रकबा 1.8130 है, ख.नं. 70 रकबा 4.1440 है किता ख० नों किता ख.नों. कुल आराजी है प्रार्थी अब्दुर्रहमान पुत्र नूरमोहम्मद के सगे भाई जानमोहम्मद पुत्र नूरा ने बताया कि पूर्व में विरासत के नामान्तरण के जरिए अब्दुलरहमान पुत्र नूरा का नाम भूलवश दर्ज हो गया। प्रार्थी ~~अब्दुर्रहमान~~ अब्दुर्रहमान के अन्य साक्ष्य दस्तावेजों की जांच की जिसमें प्रार्थी का नाम अब्दुर्रहमान पुत्र नूरमोहम्मद दर्ज है। साक्ष्य दस्तावेज भामाशाह कार्ड, आधारकार्ड नम्बर - 6116,0075, 9855 राशनकार्ड व परिचय पत्र इत्यादि में अब्दुर्रहमान पुत्र नूरमोहम्मद दर्ज है। प्रार्थी अपने सभी खातों में कब्जा काश्त है। प्रार्थी गांव में अब्दुर्रहमान के नाम से जाना पहचाना जाता है। मौके पर उपस्थित मौतबरानों ने बताया की प्रार्थी अब्दुल रहमान गलत नाम दर्ज हो गया। लेकिन सही नाम ~~अब्दुर्रहमान~~ अब्दुर्रहमान पुत्र नूरमोहम्मद कौम मुसल० है। फर्द मौका मौतबिरान के रूबरू मौके पर बनाई गयी एवं हस्ताक्षर/निशान अंगूठा लिए गए।

सिराज

सोबदार

जान मोहम्मद

19/05/2025

(सुभाष चन्द्र मीणा)
पटवारी (भू.अ.)
प.म.. हरपालिया
तहसील सेडवा (बाड़मेर)

Ibrahim

आदम

नवाब

गिरदावर (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.05.22 19:38:18 IST
Reason: SelfAttested